अमर नाथ

बनाम

केवला देवी और अन्य

(सिविल अपील संख्या 1918, 2007)

अप्रैल 22, 2014

[ज्ञान सुधा मिश्रा और वी. गोपाल गौड़ा, जे.जे]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

धारा 100- दूसरी अपील- कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न- उच्च न्यायालय ने प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि की है और कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार न करके और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री को रद्द करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है- यह बहाल करने के लिए एक उपयुक्त मामला है प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री जिसमें उसने घोषित किया कि अपीलकर्ता प्रतिवादी के पोते का बेटा था दादा-दादी ने यह कहा कि चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश शून्य और अवैध है - उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को बहाल कर दिया गया

संपत्ति पर स्वामित्व घोषणा का वाद- वादी का मामला कि चकबंदी अधिकारी का आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था - माना गया:

चकबंदी अधिकारी का आदेश प्रतिवादियों द्वारा धोखाधड़ी के आधार पर प्राप्त किया गया था - चकबंदी अधिकारी के द्वारा भी आपितयों को वापिस लिये जाने को स्वीकार करते हुये और इस विवाद पर कि वह सही उतराि◌धकारी है अथवा नहीं, की जांच नहीं कर, विवादगस्त संपत्ति में आधे हिस्से के अधिकार को देकर अपीलकर्ता के साथ भी धोखाधड़ी की है, - वाद को यूपी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 331 और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 49 के तहत वर्जित नहीं किया गया था, क्योंकि यह 'पुत्रत्व'के प्रश्न से जुड़े स्वामित्व के आधार पर कब्जे का मुकदमा था, जो दो अधिनियमों के तहत अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं था - उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950-धारा 331- उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953- धारा 49 क्षेत्राधिकार- कपट

संपत्ति अधिनियमः

कृषि भूमि - अभिनिर्धारित किया गया : जब विचारणीय न्यायलाय ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर यह माना है कि यह साबित हो गया है कि अपीलकर्ता प्रतिवादी के दादा के पोते का बेटा था, तो स्वचालित रूप से अदालत को विवादित संपत्ति का आधा हिस्सा प्रतिवादी के साथ देना चाहिए था। प्रतिवादी की इस दलील के कारण अपीलकर्ता का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता कि उसने समझौता कर लिया है - प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता की निरक्षरता का अनुचित लाभ उठाया है।

चकबंदी अधिकारी ने अपीलकर्ता की आपत्ति को वापस लेने की अनुमति देकर और यह जांच न करके कि क्या अपीलकर्ता वास्तव में प्रतिवादी के दादा का पोते का बेटा था या नहीं, अपना दायित्व पूर्णनहींकिया-चकबंदी अधिकारी का आदेश कानून की दृष्टि से सही नहीं है। इसके परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर विफलता हुइ है। चकबंदी अधिकारी के आदेश को प्रत्यक्ष अवैधता और कानूनी द्वेष के साथ कार्य करने के आधार पर अमान्य घोषित किया जाता है - अपीलकर्ता विवाद में भूमि के आधे हिस्से के मालिक के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का हकदार है -सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह राजस्व अभिलेखों में अपीलकर्ता का नाम विवादग्रस्त भूमि के आधे शेयर स्वामी के रूप में दर्ज करें।

अपीलकर्ता ने वाद संपत्ति पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया और चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.2.1970 को रद्द करने की प्रार्थना की। आधार यह है कि प्रतिवादी सं. 1 प्रतिवादी संख्या 2 के साथ मिलीभगत कर अपीलकर्ता की अशिक्षा का लाभ उठाते हुए, मुकदमे की भूमि पर अपना नाम दर्ज कर लिया और चकबंदी अधिकारी ने उनकी आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसे प्रस्तुत नहीं गया था और निर्देश दिया कि मौजूदा प्रविष्टियाँ जारी रहेंगी। वादी का आरोप है कि चकबंदी अधिकारी का आदेश उसके साथ धोखाधड़ी कर प्राप्त किया गया है। विचारणीय न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता 'वीएन'का बेटा था, यानी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का भाई, लेकिन मुकदमे को यही निष्कषर् देते

हुये खारिज कर दिया, उप्र जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 331 एवं यूपी एकीकरण होल्डिंग्स अधिनियम 1953 की धारा 49 के तहत वर्जित साथ-साथ परिसीमा अधिनियम द्वारा बाधित। हालाँकि, प्रथम अपीलीय अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया। प्रतिवादियों-प्रतिवादियों द्वारा दायर दूसरी अपील में उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया।

वादी द्वारा दायर तत्काल अपील में, अदालत के समक्ष विचारण के लिए निम्नलिखत प्रश्न इस प्रकार थे:

1- क्या उच्च न्यायालय विधि के सारभूत प्रश्न की रचना किए बिना अपील पर निर्णय लेने में सही था और क्या मामला वापस उच्च न्यायालय को भेजा जाना चाहिए?

2- क्या अपीलकर्ता का मुकदमा यूपी चकबंदी भूमि जोत अधिनियम की धारा 49 और यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 331 द्वारा वर्जित था?

3 - क्या चकबंदी अधिकारी द्वारा दिनांक 14.02.1970 को पारित आदेश अवैध एवं शून्य घोषित किया जाना चाहिए?

4 - क्या आदेश पारित किया जाए?

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुये अभिनिर्धारित किया गया :-

प्रश्न संख्या 1

1.1 उच्च न्यायालय ने विधि का सारभूत प्रश्न तैयार न करके और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री को रद्द करके प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि की है एवं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया। विवादास्पद बिन्दुओ पर प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा तय किये गये तथ्यात्मक निष्कर्ष अभिवचनों और साक्ष्य की पुनः सराहना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य और विधि के ध्यानपूर्वक अवलोकन पर आधारित थे। न्याय के हित में, उच्च न्यायालय के फैसले और डिक्री को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इसने विधि का सारभूत प्रश्न की रचना करने और उस पर निष्कर्ष दिये जाने में चूक की है और इस प्रकार सीपीसी की धारा 100 के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है [पैरा संख्या 8] [688-ए-डी]

सूरत सिंह बनाम हुकम सिंह नेगी [2010] 15 एससीसी 525 और हरदीप कौर बनाम मलकीयत कौर 2012 {2} एससीआर 478 {2012} 4 एससीसी 344 के मामलों पर निर्भर किया है।

1.2 हस्तगत मामले में, हम मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय में वापस भेजना आवश्यक नहीं समझते हैं। यह मानना है कि आक्षेपित फैसले को रद्द करना और प्रथम अपीलीय अदालत के सुविचारित फैसले को बरकरार रखना पर्याप्त है, जहां यह माना गया था

कि विचारणीय न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर अमर नाथ पुत्र वैज नाथ का जो तथ्य साबित माना था, वह साबित हो गया था तो स्वचालित रूप से अदालत को विवादित भूमि का आधा हिस्सा प्रतिवादी नंबर 1, केवला देवी के साथ अपीलकर्ता को दे देना चाहिए था। इसके बजाय, विचारणीय न्यायालय के साथ-साथ चकबंदी अधिकारी ने भी ऐसे फैसले पारित किए हैं जो कानून की दृष्टि से सही नहीं है। क्योंकि वे यह देखने में विफल रहे हैं कि अपीलकर्ता का अधिकार केवल प्रतिवादियों की इस दलील के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता है कि उसने समझौता कर लिया है। प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता की अशिक्षा का अनुचित लाभ उठाया है और चकबंदी अधिकारी ने अपीलकर्ता की आपत्ति को वापस लेने की अनुमति देकर और यह जांच न करके कि अपीलकर्ता वास्तव में वैज नाथ का पुत्र था या नहीं, हमें इसकी अत्यधिक संभावना लगती है कि प्रतिवादियों के द्वारा एवं साथ ही चकबंदी अधिकारी द्वारा राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादियों के रूप में उनका नाम दर्ज न करके उसके साथ धोखाधड़ी की गई थी, उसकी अशिक्षा का अनुचित लाभ उठाया गया ताकि पूरी संपत्ति प्रतिवादियों के पास चली जाए। चकबंधी अधिकारी का आदेश अवैध और शून्य है, जिससे न्याय प्राप्ति में गंभीर विफलता हुइ है। विचारणीय न्यायलाय के द्वारा चकबंदी अधिकारी के आदेश को अपास्त न कर त्रुटि कारित की गइ है। [पैरा 9] [688-एफ-जी; 689-ए-ई]

<u>प्रश्न संख्या 2:</u>

2.1 उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 331 के तहत मुकदमे पर रोक नहीं लगाई गई थी, क्योंकि उक्त अधिनियम के तहत अधिकारियों के पास विषय वस्तु से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश भूमि जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 49 के तहत प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि यह 'पुत्रत्व'के प्रश्न से जुड़े शीर्षक के आधार पर सूट अनुसूची संपत्ति के कब्जे के लिए एक मुकदमा है, जो कि अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उक्त अधिनियम के तहत प्राधिकारी। [पैरा 10][690-बी-ई]

सूबा सिंह बनाम महेंद्र सिंह एवं अन्य। (1974) 1एससीसी 418-संदर्भित।

<u>प्रश्न संख्या 3 और 4:</u>

3.1 चकबंदी अधिकारी का आदेश दिनांक 14.2.1970 प्रतिवादियों द्वारा धोखाधड़ी के आधार पर प्राप्त किया गया था। चकबंदी अधिकारी ने भी अपीलकर्ता के साथ धोखाधड़ी की है, उसने अपनी आपत्ति वापस ले ली है और आधे हिस्से के अधिकार के साथ इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है कि क्या वह सही उत्तराधिकारी है। मुकदमे की संपत्ति का चकबंदी अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं किया है और अपीलकर्ता की ओर से दिए गए कथित बयान की जांच किए बिना और उसकी सत्यता की पुष्टि किए बिना अपनी आपत्ति वापस ले ली है और संबंधित पक्षों के अधिकारों

की वाद अनुसूची संपत्ति के संबंध में दस्तावेज के संबंध में जांच किए बिना आदेश पारित कर दिया है। उन्होंने विवादग्रस्त भूमि के एकमात्र असली उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिवादी नंबर 1 का नाम दर्ज करके न्याय के घोर गर्भपात को जारी रखने की अनुमति दी है। [पैरा 11] [690-जी-एच: 691-ए-सी]

एस. प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य 1964 एससीआर 733: एआईआर 1964 एससी 72- पर भरोसा किया गया

3.2 इसलिए, यह न्यायालय प्रत्यक्ष अवैधता और कानूनी द्वेष के आधार पर चकबंदी अधिकारी के आदेश को अमान्य घोषित करता है। न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलकर्ता सक्षम अधिकारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में विवादित भूमि के आधे हिस्से के मालिक के रूप में दर्ज होने का हकदार है और उसे संपत्ति और फसलों में आधे हिस्से का अधिकार है, क्योंकि यह उसके पिता की पैतृक संपत्ति है। सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह राजस्व अभिलेखों में अपीलकर्ता का नाम विवादग्रस्त भूमि के आधे हिस्सेदार के रूप में दर्ज करें। उच्च का आक्षेपित निर्णय और डिक्री न्यायालय और प्रथम अपीलीय के फैसले को रद्द कर दिया गया है और प्रथम अपीलीय न्यायलाय के निणर्य को बरकरार रखा गया और बहाल किया गया। [पैरा 9, 12 और 13] [691-ई-एफ; 692-ए-डी]

मदन मोहन मिश्रा बनाम चंद्रिका पांडे (मृतक) एलआर 2009 द्वारा(2) एससीआर 590:(2009) 3 एससीसी 720;मदन मोहन सिंह एवं अन्य। वी. रजनी कांत और अन्य। 2010 (10) एससीआर 30: (2010) 9 एससीसी 209 - उद्धृत।

केस कानून संदर्भ

2009 (2) एससीआर 590	उद्धृत	पैरा 6
2010 (10) एससीआर 30	उद्धृत	पैरा 6
ई (2010) 15 एससीसी 525	पर भरोसा	पैरा 8
2012 (2) एससीआर 478	पर भरोसा	पैरा 8
(1974) 1 एससीसी 418	पर भरोसा	पैरा 10
1964 एससीआर 733	पर भरोसा	पैरा 11

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1918/2007

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, के द्वितीय अपील संख्या 283/2005 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 08.04.2005 से ।

एस. आर. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, उज्ज्वल पांडे, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए ।

आर. डी. उपाध्याय, वकील प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायधीश वी. गोपाल गौड़ा जे. द्वारा पारित किया गया :-

1. यह अपील उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 08.04.2005 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील की अनुमति दी थी और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया था औरविचारणीयन्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्षको बरकरार रखा था। अपीलकर्ता ने विभिन्न कानूनी और तथ्यात्मक तर्कों का आग्रह करते हुए आक्षेपित फैसले के खिलाफ अपील की है, मुख्य तर्क यह है कि उच्च न्यायालय ने कानून के सारभूत प्रश्न/प्रश्नों को तैयार किए बिना अपील की अनुमति दी है, हालांकि यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100 के अनुसार अनिवार्य है। (इसके बाद इसे 'सीपीसी'कहा जाएगा)।

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य संक्षेप में यहां बताए गए हैं:

अपीलकर्ता, अमर नाथ वादी है जिसके पिता, वैज नाथ, राम नाथ और राम देव के भाई हैं। प्रतिवादी संख्या 1- प्रतिवादी राम नाथ की इकलौती बेटी है। तीसरे भाई राम देव की बिना किसी संतान के मृत्यु हो गई। अपीलकर्ता, अमर नाथ ने यह वाद शेड्यूल संपत्ति पर कब्जे के लिए दायर किया और चकबंदी कार्यवाही के दौरान चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.1970 को इस आधार पर रद्द करने की प्रार्थना की

कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के साथ मिलकर, अपीलकर्ता की मानसिक कमजोरी और अशिक्षा का लाभ उठाते हुए, विवादग्रस्त भूमि पर अपना नाम दर्ज कर लिया है, और चकबंदी अधिकारी ने अपीलकर्ता की आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसे दबाया नहीं गया था और निर्देश दिया कि मौजूदा प्रविष्टियाँ जारी रहेंगी। उन्होंने इस आधार पर चकबंदी अधिकारी के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है और उन्हें आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। विचारणीय न्यायालय ने दलीलों के आधार पर 12 विवाद्यकाे कीविरचना की हैं और सुनवाई के बाद विवाद्यक संख्या 1 और 12 अपीलार्थी के विरुद्ध तय किये। यह मानते हुए कि अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि पर सह-भूमिधर नहीं है और आगे यह माना गया कि मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित है। विचारणीय न्यायालय यह भी माना गया कि मुकदमा यूपी की धारा 331 द्वारा वर्जित है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 और इसके बजाय उन्हें विवादित भूमि पर अपने भूमिधर अधिकार के लिए और वाद अनुसूची संपत्ति के कब्जे की राहत के लिए राजस्व न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करना चाहिए। आगे यह माना गया कि यह मुकदमा यूपी चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 49 के साथ-साथ परिसीमा द्वारा वर्जित है।विचारणीय न्यायालय ने यह भी माना कि मुकदमा विभंध के सिद्धांत से भी वर्जित है विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 और 41 के तहत प्रतिवादी को विवादग्रस्त भूमि पर विशेष कब्ज़ा प्राप्त है। हालाँकि

विचारणीय न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता के पास मुकदमा दायर करने के लिए वाद हेतूक था, उसने यह माना कि अपीलकर्ता ने समेकन कार्यवाही में उसके द्वारा दायर की गई आपत्ति पर जोर नहीं दिया और उसने प्रतिवादी के साथ एक समझौता में प्रवेश किया, प्रतिवादीके पक्ष में स्वंय के हिस्से को सौंपदियाजो धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित दबाव पर आधारित नहीं है और वाद में भी इस संबंध में कोई आरोप नहीं बताया गया है, और रिकॉर्ड पर कोई सबूत भी नहीं रखा गया है। इसलिए,विचारणीय न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता वाद मेंकिये गये अनुतोष को प्राप्तकरने का हकदार नहीं है और इस तरह मुकदमे को लागत सहित खारिज कर दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही मुकदमा खारिज कर दिया गया था, लेकिन विचारणीय न्यायालय ने प्रतिवादियों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता अमर नाथ, वैज नाथ का बेटा नहीं था। विचारणीय न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से परीक्षित करवाये गए गवाहों के बयान और उनकी ओर से पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य यानी 1991 के चुनावी रजिस्टर और राशन कार्ड की प्रति जिसमें यह दर्ज है, पर भरोसा करते हुए माना कि अमर नाथ वास्तव में वैज नाथ का बेटा था। विचारणीय न्यायालय ने डीडब्ल्यु-1 की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखा, प्रतिवादी क्रमांक 1 के पति श्यामा चंद तिवारी जिन्होंने शपथ पूर्वक न्यायालय में यह बयान दिया कि 'अमर नाथ पुत्र वैज नाथ ने स्वयं चकबंदी कार्यवाही से अपना मामला वापस ले लिया'।

3. अपीलकर्ता ने सीपीसी की धारा 96 के तहत सिविल अपील दायर करके विचारणीय न्यायालय के फैसले और डिक्री के खिलाफ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत के माध्यम से प्रथम अपीलीय अदालत में अपील दायर की। प्रथम अपीलीय न्यायलाय ने अपने फैसले और डिक्री दिनांक 01.02.2005 के द्वारा माना कि अपीलकर्ता को केवल यह साबित करना था कि वह वैज नाथ का पुत्र है जो गया का पुत्र था और वह उनका कानूनी उत्तराधिकारी है और विचारणीय न्यायालय ने महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गवाहों की साक्ष्य पर परीक्षित करने की बजाय विभिन्न हित बध्द्व व्यक्तियों की परीक्षा की है, उपलब्ध रिकॉर्डों की अनदेखी की है जो अपीलकर्ता के पक्ष में पूर्ण साक्ष्य का गठन करते हैं। यदि साक्ष्य यह था कि अमर नाथ वैज नाथ का पुत्र था तो स्वचालित रूप से अदालत को प्रतिवादी केवला देवी के साथ-साथ अपीलकर्ता को विवादित भूमि का आधा हिस्सा देना चाहिए था। अपील की अनुमति दी गई, क्योंकि विचारणीय न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष रिकॉर्ड पर उपलब्ध दलीलों और सबूतों द्वारा समर्थित नहीं थे।

4. प्रत्यर्थियों प्रतिवादियों ने प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की। प्रत्यर्थियों द्वारा यह तर्क दिया गया कि विवादित भूमि वर्ष 1969-1970 में चकबंदी कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी नंबर 1 को उसके पिता से विरासत में मिली थी और उनके कुछ विरोधियों ने अपीलकर्ता को आपत्ति दर्ज करने के

लिए तैयार किया था जिसे बाद में उन्होंने दिनांक 14.02.1970 को एक आवेदन प्रस्तुत कर वापस ले लिया था। यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता प्रतिवादियों के परिवार से नहीं है और वह गया का उत्तराधिकारी नहीं है। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई थी और चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.1970 धोखाधड़ीपूर्ण था और रद्द किए जाने योग्य था। उन्होंने दलील दी कि प्रतिवादियों ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और उन्होंने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे विवादित भूमि का प्रबंधन कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने माना कि सीपीसी के आदेश 6 नियम 4 के अनुसार, जब धोखाधड़ी, विश्वास के उल्लंघन आदि का आरोप लगाया जाता है, तो उसका विवरण वाद पत्र में बताया जाना चाहिए और वर्तमान मामले में, धोखाधड़ी का कोई विवरण नहीं दिया गया था। ऐसी दलील के अभाव में किसी भी सबूत पर गौर नहीं किया जा सकता है और यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है कि आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी की दूसरी अपील की अनुमति दी गई और उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया। अत: यह सिविल अपील.

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत कियेगये कि है कि अपीलकर्ता ने धोखाधड़ी के बारे में अभिवचन किये है और आगे उसके द्वारा प्रस्तुतकिये गये साक्ष्य के माध्यम से भी यह स्पष्ट किया और उसे प्रतिवादी संख्या 1 के पति द्वारा यह आश्वासन दिया गयाकिउसका

हिस्सा उसके नाम से दर्ज कियाजायेगा और उसने उसके साथ धोखाधड़ी की। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता को चकबंदी आदेश दिनांक 14.02.1970 के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसने चकबंदी न्यायालय में कोई आवेदन दायर नहीं किया था। उन्होंने तर्क दिया कि मुकदमा यूपी चकबंदी अधिनियम की धारा 49 और यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 331 के तहत वर्जित नहीं था क्योंकि वर्तमान मुकदमा दायर करके अपीलकर्ता ने आदेश दिनांक 14.02.1970, को रद्द करने की प्रार्थना की थी, जो उन्होंने तर्क दियाकि धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था और ऐसा करने की शक्ति केवल सिविल कोर्ट के पास है। इसके अलावा, विचारणीय न्यायलाय ने विवादित संपत्ति का आधा हिस्सा अपीलकर्ता के पक्ष मेंडिक्री न कर गंभीर त्रुटि की है, जबकि विचारणीय न्यायलाय ने स्वयं अपने फैसले के पैरा 18 में माना था कि अपीलकर्ता वैज नाथ का पुत्र और गया का कानूनी उत्तराधिकारी था। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने सीपीसी की धारा 100 की आवश्यकता के अनुसार विधिके सारभूत प्रश्न की रचना किये बिना दूसरी अपील की अनुमति देकर प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि की है।

6. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताने जाहिर किया है कि उच्च न्यायालय ने कानून के सारभूत प्रश्न तैयार किए बिना अपील पर विचार किया है, जो सीपीसी की धारा 100 के अनुसार अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया है कि क्या वाद

यूपी भूमि समेकन अधिनियम की धारा 49 और यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 331 द्वारा वर्जित था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा मदन मोहन मिश्रा बनाम चंद्रिका पांडे (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि (2009) 3 scc 720 के न्यायिकदृष्टांत को आधार बनाते हुये कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि कृषि भूमि के मामले में सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार वर्जित है। और मदन मोहन सिंह व अन्य बनाम रजनी कांत और अन्य, (2010) 9 scc 209 के मामले में यह माना गया कि समेकन अधिनियम के तहत वैधानिक प्राधिकारियों को सिविल कोर्ट के साथ-साथ राजस्व न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्तहै, क्योंकि अधिनियम के तहतकार्यवाही शुरू होने की अधिसूचना के बाद सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित सभी मामले समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि चकबंदी अधिनियम के तहत अधिकारियों को संपत्ति के स्वामित्व या विरासत के अधिकार के किसी भी मामले पर निर्णय लेने के लिए एक सिविल अदालत की शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसलिए, यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मामले को विधि का सारभूत प्रश्न की रचना के लिए उच्च न्यायालय में पुनःप्रेषित कियाजाना चाहिये और फिर उसके गुणावगुण के आधार पर दूसरी अपील पर निर्णय लिया जाए या यह न्यायालय यूपी भूमि जोत समेकन अधिनियम की धारा 49 के प्रभाव एवं यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 331 पर भी विचार कर सकता है।

7. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है। हमारे सामने निम्नलिखित विचारणीयबिन्दु हैं :

1. क्या उच्च न्यायालय विधि के सारभूत प्रश्न की रचना किए बिना अपील पर निर्णय लेने में सही था और क्या मामला वापस उच्च न्यायालय को भेजा जाना चाहिए?

2. क्या अपीलकर्ता का मुकदमा यूपी चकबंदी भूमि जोत अधिनियम की धारा 49 और यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 331 द्वारा वर्जित था?

3. क्या चकबंदी अधिकारी द्वारा दिनांक 14.02.1970 को पारित आदेश अवैध एवं शून्य घोषित किया जाना चाहिए?

4. क्या आदेश पारित किया जाए?

हम इनमें से प्रत्येक मुद्दे के साथ-साथ उनसे उत्पन्न होने वाले पूरक मुद्दों पर भी अलग से विचार करेंगे।

8. <u>बिंदु संख्या 1 का उत्तर:</u>

हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय ने विधि का सारभूत प्रश्न तैयार न करके और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री को रद्द करके प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि की है। विवादास्पद बिन्दुओ पर प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा तय किये गये तथ्यात्मक निष्कर्ष अभिवचनों और साक्ष्य की पुनः सराहना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य और विधि के

ध्यानपूर्वक अवलोकन पर आधारित थे और उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की वैधता की जांच करने के लिए विधि के बाध्यकारी सारभूत प्रश्न की रचना नहीं कर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया।न्याय के हित में, उच्च न्यायालय के फैसले और डिक्री को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इसने विधि का सारभूत प्रश्न की रचना करने और उस पर निष्कर्ष दिये जाने में चूक की है और इस प्रकार सीपीसी की धारा 100 के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है। यह स्थापित करने के लिये कि उच्च् न्यायलाय प्रारंम्भिक स्तर पर भी विधि के सारभूत प्रश्न की विरचना करने के लिये बाध्य है।यदि वह इस स्तर पर स्वयं को संतुष्ट करना चाहता कि मामला स्वीकार किये जाने योग्य है और दूसरी अपील को ऐसे प्रश्न पर सुना जाना और निर्णित किया जाना चाहिए और इसके अतिरिक्त दूसरी अपील की सुनवाई के समय भी उच्च न्यायालय विधि के सारभूत प्रश्नों की पुनः रचना करने के लिए सक्षम है, इस पर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने सूरत सिंह बनाम हुकम सिंह नेगी (2010) 15 scc 525 और हरदीप कौर बनाम मलकीयत कौर' (2012) 4 sec 344 के मामलों पर निभर्र किया है। जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया, उनमें उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णयों को अपास्त किया गया और विधि के सारभूत प्रश्नों की रचना करने के पश्चात मामले को नए सिरे से सुनवाई करने के लिये उच्च न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अनुतोष के लिए प्रार्थना की गई है।

9. हम मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय में वापस भेजना आवश्यक नहीं समझते हैं। हमारा मानना है कि आक्षेपित फैसले को रद्द करना और प्रथम अपीलीय अदालत के सुविचारित फैसले को बरकरार रखना पर्याप्त है, जहां यह माना गया था कि विचारणीय न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर अमर नाथ पुत्र वैज नाथ का जो तथ्य साबित माना था, वह साबित हो गया था तो स्वचालित रूप से अदालत को विवादित भूमि का आधा हिस्सा प्रतिवादी नंबर 1, केवला देवी के साथ अपीलकर्ता को दे देना चाहिए था। इसके बजाय, विचारणीय न्यायालय के साथ-साथ चकबंदी अधिकारी ने भी ऐसे फैसले पारित किए हैं जो कानून की दृष्टि से सही नहीं है। क्योंकि वे यह देखने में विफल रहे हैं कि अपीलकर्ता का अधिकार केवल प्रतिवादियों की इस दलील के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता है कि उसने समझौता कर लिया है। प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता की अशिक्षा का अनुचित लाभ उठाया है और चकबंदी अधिकारी ने अपीलकर्ता की आपत्ति को वापस लेने की अनुमति देकर और यह जांच न करके कि अपीलकर्ता वास्तव में वैज नाथ का पुत्र था या नहीं। अपने कर्त्तव्य से विमुख हुये चकबंदी अधिकारी का आदेश इस प्रकार कानून की दृष्टि से सही नहीं है और इसके परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर विफलता हुई है। हम प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित फैसले और डिक्री को बहाल करना उचित समझते हैं, जिसमें अदालत ने घोषणा की थी कि अपीलकर्ता, अमर नाथ पुत्र वैज नाथ है, जो गया का बेटा था, जिससे यह

माना गया कि चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश शून्य है और अवैध है और विचारणीय न्यायालय ने चकबंदी अधिकारी के आदेश को रद्द न करके गलत किया है और राजस्व रिकॉर्ड में कहीं भी उसका नाम दर्ज नहीं किया गया है और उसके खिलाफ धोखाधड़ी की गई है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1, केवला देवी के रूप में ने प्रत्येक राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। प्रथम अपीलीय अदालत का निर्णय वैध व उचित है, क्योंकि यह निष्पक्ष है और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है। विचारणीय न्यायलाय ने विवाद्यक संख्या 1 और 10 के निष्कर्ष में यह सही माना है कि अमर नाथ पुत्र वैज नाथ हैं जो निर्विवाद रूप से गया के पुत्र थे और यदि यह तथ्य साबित हो गया है, तो हमें कोई कारण नहीं दिखता कि अपीलकर्ता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का निर्देश क्यों नहीं दिया गया। वाद अनुसूची संपत्ति पर अपीलकर्ता का अधिकार सिर्फ इसलिए समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि आपत्ति वापस ले ली गई थी, जो वैसे भी संदेह के घेरे में हैं और साथ ही, अपीलकर्ता ने दलील दी है कि उसे पहले चकबंदी अधिकारी के आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमें इसकी अत्यधिक संभावना लगती है कि प्रतिवादियों के द्वारा एवं साथ ही चकबंदी अधिकारी द्वारा राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादियों के रूप में उनका नाम दर्ज न करके उसके साथ धोखाधड़ी की गई थी, उसकी अशिक्षा का अनुचित लाभ उठाया गया ताकि पूरी संपत्ति प्रतिवादियों के पास चली जाए।

<u>10. बिंदु संख्या 2 का उत्तर;</u>

प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी का मूल वाद यूपी भूमि जोत समेकन अधिनियम की धारा 49 और यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 331 के तहत वर्जित किया गया था, हम नकारात्मक उत्तर देते हैं। वाद को उपरोक्त प्रावधानों के तहत वर्जित नहीं किया गया था क्योंकि यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम के पास विषय वस्तु से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उत्तर प्रदेश भूमि जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 49 के मुद्दे पर, हम मानते हैं कि वर्तमान मामला इस धारा के तहत वर्जित नहीं है क्योंकि यह स्वामित्व के आधार पर अनुसूची संपत्ति के कब्जे के लिए एक वाद है, जो कि पूर्वोक्त अधिनियम के प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सूबा सिंह बनाम महेंद्र सिंह व अन्य 5(1974).1 SCC418 के मामले में ,इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि भूमि के स्वामित्व के मामलों में धारा 49 सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को वर्जित नहीं करती यह कहते हुए कि-

> "9.... नतीजा यह है कि भूमि के स्वामित्व या वादी के पुत्रत्व पर जांच और निर्णय देने के लिए सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाने की दलील में कोई दम नहीं है....."

इसलिए, चूंकि वर्तमान मामले में भी वादी के 'पुत्रत्व'का प्रश्न शामिल है, जो यहां अपीलकर्ता है, अपीलकर्ता के अधिकार के प्रश्न जो उस ज़मीन

पर जो उसे अपने पिता से विरासत में मिली है, को तय करने में, उपरोक्त अधिनियम की धारा 49 के तहत सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर कोई रोक नहीं है।

11. बिंदु संख्या 3 और 4 का उत्तर:-

चकबंदी अधिकारी का आदेश दिनांक 14.2.1970 प्रतिवादियों द्वारा धोखाधड़ी के आधार पर प्राप्त किया गया था। हमें लगता है कि चकबंदी अधिकारी के द्वारा भी उसकी आपत्ति वापस लेने को स्वीकार करते हुए और इस मुद्दे पर विचार नहीं कर कि वह वैज नाथ का पुत्र है या नहीं, अपीलकर्ता के साथ धोखाधड़ी की गई और इसलिए क्या वह विवादित संपत्ति के आधे हिस्से के अधिकार के साथ सही उत्तराधिकारी है।

चकबंदी अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं किया है और कानून को ध्यान में रखते हुए अपने आदेश में आपत्ति का विवरण या अपीलकर्ता द्वारा आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की गई, इसका विवरण नहीं दिया है। उन्होंने विवादग्रस्त भूमि के एकमात्र वास्तिवक उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज करके न्याय की गंभीरविफलता को जारी रखने की अनुमति दी है। एस. प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1964 SC 72 के मामले में, अय्यंगार जे. ने पैरा 6 में अपने फैसले के हिस्से में लॉर्ड डेनिंग को उद्धृत किया है (मामले में लाजर एस्टेट्स लिमिटेड बनाम ब्यासली 1956 1 सभी ईआर 341 पृष्ठ 345 पर) बताते हुए:

"धोखाधड़ी से प्राप्त किये गये न्यायालय के किसी भी निर्णय, किसी मंत्री के किसी भी आदेश को टिके रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

चकबंदी अधिकारी ने अपीलकर्ता की ओर से दिए गए कथित बयान की जांच किए बिना और उसकी सत्यता की पुष्टि किए बिना उसकी आपत्ति वापस ले ली है और मुकदमे के संबंध में अनुसूची संपत्ति के दस्तावेजों के संदर्भ में पक्षकारान के अधिकारों की जांच किए बिना आदेश पारित कर दिया है।

12. इसलिए हम प्रत्यक्ष अवैधता और कानूनी दुर्भावना से काम करने के आधार पर चकबंदी अधिकारी के आदेश को अमान्य घोषित करते हैं। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसे चकबंदी आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसे इसके बारे में तभी पता चला जब उसने अपनी फसल का आधा हिस्सा मांगा, जिसे प्रतिवादियों ने देने से इनकार कर दिया और उससे एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाया गया, जिस पर उसने संपत्ति पर उसके अधिकार के संबंध में हस्ताक्षर किए, और उसकी अशिक्षा के कारण उसका लाभ उठाया गया है। हमें यह सब बेहद अस्पष्ट लगता है और यह चकबंदी अधिकारी का दायित्व है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी का नाम दर्ज करने से पहले भूमि के स्वामित्व की उचित जांच करे। हम आगे यह भी मानते हैं कि अपीलकर्ता ए-अमरनाथ विवादग्रस्त

भूमि के आधे हिस्सेदार के रूप में सक्षम अधिकारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के हकदार हैं, क्योंकि संपत्ति और फसलों में उन्हें आधे हिस्से का अधिकार है, क्योंकि यह उसके पिता वैजनाथ की पैतृक संपत्ति है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों, जैसे कि चुनाव पहचान पत्र, की जांच से यह साबित हो गया है कि अमर नाथ वास्तव में वैज नाथ का पुत्र है, जिससे प्रतिवादियों का यह तर्क समाप्त हो गया है कि अपीलकर्ता वैज नाथ का पुत्र नहीं है।

13. उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि अपीलकर्ता विवादित भूमि के आधे हिस्से का मालिक है और पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार बरकरार रखता है। हम सक्षम प्राधिकारी को अपीलकर्ता-अमर नाथ का नाम राजस्व रिकॉर्ड में विवादग्रस्त भूमि के आधे हिस्सेदार मालिक के रूप में दर्ज करने का निर्देश देते हैं। इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और डिक्री को रद्द करते हैं और डी प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को पुष्ट करते हैं। उपरोक्तानुसार लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं के साथ अपील स्वीकार की जाती है

है।

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवाद न्यायिक अधिकारी अजय अजय भोजक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।